


# Georeferenced Map of the proposed 6.64 Ha forest area for Compensatory Afforestation against forest area proposed for diversion for bridge No. 84 Gram Sabha: Sarwarpur Forest Range: Sitapur, Division: Social Forestry Division Sitapur, District: Sitapur (UP)




Prepared By: NRM Geomatics Pvt.Ltd. Lucknow



### Legend

- GPS Coordinate Location
- Forest Land Proposed For Compensatory Afforestation

Note: Map and Measurements are prepared on the basis of GPS coordinates and site information provided by User Agency



### GPS Coordinates of Proposed CA Land

SNo	Latitude	Longitude
(1)	27°25.722'N	80°49.470'E
(2)	27°25.752'N	80°49.493'E
(3)	27°25.811'N	80°49.544'E
(4)	27°25.811'N	80°49.506'E
(5)	27°25.844'N	80°49.504'E
(6)	27°25.859'N	80°49.503'E
(7)	27°25.881'N	80°49.517'E
(8)	27°25.854'N	80°49.587'E
(9)	27°25.831'N	80°49.588'E
(10)	27°25.854'N	80°49.620'E
(11)	27°25.823'N	80°49.622'E
(12)	27°25.829'N	80°49.687'E
(13)	27°25.802'N	80°49.684'E
(14)	27°25.773'N	80°49.670'E
(15)	27°25.769'N	80°49.676'E
(16)	27°25.744'N	80°49.658'E
(17)	27°25.719'N	80°49.651'E
(18)	27°25.709'N	80°49.622'E
(19)	27°25.693'N	80°49.616'E
(20)	27°25.700'N	80°49.585'E
(21)	27°25.719'N	80°49.538'E
(22)	27°25.721'N	80°49.528'E

**डाइवर्सन सहित पुल के निर्माण में बाधक वृक्षों का प्रजातिवार / श्रेणीवार  
मूल्यांकन**

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण में बाधक वृक्षों की सूची

क्रम संख्या	प्रजाति एवं वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	मूल्यांकन (रुपये)
1	Dhak (Butea Monosperma)	31 - 60 Cm	1	26.18
		61 - 90 Cm	18	1970.31
		91 - 120 Cm	10	2187.37
		121 - 150 Cm	4	2456.06
		> 150 Cm	1	1448.45
2	Chilbil (Holoptelia Integrifolia)	31 - 60 Cm	5	400.54
		61 - 90 Cm	26	7126.83
		91 - 120 Cm	5	3907.92
		121 - 150 Cm	3	6256.04
		> 150 Cm	4	21,509.56
3	Semal (Bombax Ceiba)	61 - 90 Cm	1	593.00
		91 - 120 Cm	1	993.15
		> 150 Cm	2	4230.00
4	Peepal (Ficus Religiosa)	> 150 Cm	2	13,370.27
5	Siras (Albezzia Labbeck)	61 - 90 Cm	2	891.82
		91 - 120 Cm	1	445.91
		> 150 Cm	1	6483.97
6	Sheesham (Dalburgia Sisoo)	91 - 120 Cm	1	658.61
		> 150 Cm	3	19,762.10
7	Arand (Ailanthus Excelsa)	61 - 90 Cm	1	233.00
8	Sagaun (Teak)	61 - 90 Cm	1	1887.00
9	Kuthumbar, Sohariya, Kaitha, Goolar, Kankohari and Dahigala (Miscellaneous Species)	61 - 90 Cm	7	4434.39
		91 - 120 Cm	8	1833.45
		121 - 150 Cm	5	10,354.91
		> 150 Cm	6	7064.36
Total			119	1,20,526.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
सीतापुर

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)  
पूर्वोत्तर रेलवे  
लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
दिल्ली (सीतापुर)

राज्य वन अधिकारी  
राज्य वन अधिकारी  
सीतापुर

**Form -1**  
**(For Linear projects)**  
**Government of Uttar Pradesh**  
**Office of the District Magistrate, Sitapur**

**To Whom so ever it may concern**


In compliance of the Ministry of Environment and Forests ( F C Division ), Government of India's Letter No. 11-9/1998-FC (pt) Dated 3.8.2009 vide which the MoEF have issued certain guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act, 2006 (FRA for short ) on the Forest land proposed for diversion for non-Forest purposes read with MoEF's Letter No 11-9/98-FC (pt) Dated 5.2.2013 vide which the MoEF have issued certain relaxations in respect of Linear projects, it is certified that 0.85 Hectare of the Forest land proposed to be diverted in favour of North Eastern Railway for construction of bridge No. 84 along with diversion in Sitapur District falls within the jurisdiction of Daudpur and Sarwarpur Kesaria villages of Sidhauri and Sitapur Tehsil respectively.

It is further certified that

(I)	the complete process for identification and settlement of rights under the FRA for diversion of the entire 0.85 Hectare of the Forest land has been carried out. A copy of record of all the consultations and meetings of the Forest Rights Committees at Gram Sabha Level, Sub-Divisional Level and the District Level are enclosed herewith.
(II)	the diversion of the Forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been completed and that both the Gram Sabhas have given their consent to it.
(III)	the proposal does not involve the recognition of rights of the Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities.

DA: As Above.


  
Divisional Director  
Social Forestry Division  
Sitapur

  
District Magistrate  
Sitapur

कार्यालय उप जिलाधिकारी  
तहसील - सिधौली, जिला - सीतापुर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 ( Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act, 2006

आज दिनांक 10.6.2015 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समिति की बैठक बुलाई गयी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दाऊदपुर गाँव के ऊपर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत चर्चा की गयी। समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंची कि इस गाँव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 ( Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं है।

 सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) <u>सीतापुर</u> (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर) <u>कसमण्डा - सीतापुर</u>	 क्षेत्रीय वनाधिकारी सिधौली (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर) <u>ब्रजेश कुमार</u> क्षेत्रीय वन अधिकारी सिधौली (सीतापुर)	 उप जिलाधिकारी सिधौली (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
---	--	---

राजेश  
कोल पंचायत सदस्य  
शा. दाऊदपुर

  
खण्ड विकास अधिकारी  
कसमण्डा-सीतापुर

  
सहायक विकास अधिकारी  
शा. दाऊदपुर  
वि. व. कसमण्डा - सीतापुर

कार्यालय ग्राम पंचायत – दाउदपुर  
तहसील –सिधौली, जिला – सीतापुर  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला – सीतापुर, उत्तर प्रदेश मे रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दाउदपुर की बैठक में रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र वावत ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा ग्राम वासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि वन अधिकार अधिनियम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट), 2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं। उपस्थित पंचायत के सदस्यों तथा ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है।

चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत तथा ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत की संस्तुति पर वन अधिकार अधिनियम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट), 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

दिनांक - 20.5.2015



प्रधान  
ग्राम पंचायत दाउदपुर  
(~~विश्वजी कामदेवी~~) सीतापुर  
प्रधान

ग्राम पंचायत – दाउदपुर  
तहसील –सिधौली, जिला – सीतापुर

कार्यालय ग्राम पंचायत - दाउदपुर  
तहसील - सिधौली, जिला - सीतापुर

प्रस्ताव की प्रतिलिपि

ग्राम पंचायत की बैठक की तिथि 20-5-2015

क्रम संख्या	सदस्यों की गणना		प्रस्ताव का क्रमांक एवं चर्चा का विषय		की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित / अपारित	हस्ताक्षर
1	1	ग्राम पंचायत के कुल सदस्य गणों की संख्या <b>13</b>	1	प्रस्ताव क्रमांक <b>6</b>	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय / पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है एवं वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ - सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या - 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	पारित	<p>सतीश कुमार सुरजिती पुकारा गुड्डिया देवी अमरवती उजेश भाव सफीक राजकुमार मुन्नी लाल सुशीला देवी प्रधान ग्राम पंचायत दाउदपुर वि०ख० कसमण्डा - सीतापुर</p>
	2	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या <b>9</b>	2	चर्चा का विषय			
	3	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों की संख्या <b>18</b>					

						संख्या - 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कार्यालय ग्राम पंचायत - दाउदपुर  
तहसील - सिधौली, जिला - सीतापुर

दिनांक - 20.5.2015

क्रम संख्या	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राम नरायन	राम नरायन
2	लाल बहादुर	लाल बहादुर
3	राम नरेश यादव	राम नरेश यादव
4	मिठू लाल	मिठू लाल
5	जी केशव	जी केशव
6	जोग देव	जोग देव
7	शिवचान लाल	शिवचान
8	राजेंद्र प्रसाद	राजेंद्र प्रसाद
9	महेश कुमार	महेश कुमार
10	राज कुमार	वैजू राम राजेंद्र गुप्ता
11	राम सागर	राम सागर
12	बजूराम	वैजू राम
13	श्याम सागर	श्याम सागर
14	राम स्वरूप	राम स्वरूप
15	बाबू लाल	बाबू लाल
16	राम खेलावन	राम खेलावन
17	शेखर पाल	शेखर पाल
18	बालक राम	बालक राम

कार्यालय उप जिलाधिकारी  
तहसील - सीतापुर, जिला - सीतापुर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 ( Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act, 2006

आज दिनांक 5.6.2015 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समिति की बैठक बुलाई गयी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सरवरपुर केसरिया गाँव के ऊपर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत चर्चा की गयी। समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुँची कि इस गाँव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 ( Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई पात्र व्यक्ति नहीं है।

सहायक विकास अधिकारी  
(समाज कल्याण)  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
सीतापुर  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

उप जिलाधिकारी  
सीतापुर  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

गीता ली  
BDe  
सरवरपुर

सहायक विकास अधिकारी,  
(स. व. सं. खैराबाद-सीतापुर)  
खैराबाद-सीतापुर

कार्यालय ग्राम पंचायत – सरवरपुर केसरिया  
तहसील –सीतापुर, जिला – सीतापुर  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला – सीतापुर, उत्तर प्रदेश मे रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरवरपुर केसरिया की बैठक में रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र वावत ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा ग्राम वासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि वन अधिकार अधिनियम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट), 2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं। उपस्थित पंचायत के सदस्यों तथा ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है।

चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत तथा ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम पंचायत की संस्तुति पर वन अधिकार अधिनियम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट), 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

दिनांक - 12.5.2015

( किरन देवी )  
प्रधान   
ग्राम पंचायत – सरवरपुर केसरिया  
तहसील – सीतापुर, जिला – सीतापुर

कार्यालय ग्राम पंचायत – सरवरपुर केसरिया  
तहसील – सीतापुर, जिला – सीतापुर  
प्रस्ताव की प्रतिलिपि  
ग्राम पंचायत की बैठक की तिथि 12/05/15

क्रम संख्या	सदस्यों की गणना		प्रस्ताव का क्रमांक एवं चर्चा का विषय		की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	हस्ताक्षर		
1	1	ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या	10	1	प्रस्ताव क्रमांक 	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है एवं वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमामान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	पारित	1	द्वारा राम
	2	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	7	2	चर्चा का विषय			2	युकारा
	3	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों की संख्या	15					3	 श्री 37 24/5/15
							4	राजेश कुमार	
							5	 श्री 37 24/5/15	
							6	आशा	

						संख्या - 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

सत्त्वदेव  
 प्रस्ताव  
 ग्राम पंचायत सरवरपुर कैतबिया  
 वि. नं. खैराबाद-सीतापुर

सत्त्वदेव त्रिविदी  
 ग्राम पंचायत अधिवक्त्र  
 वि. नं. खैराबाद-सीतापुर

कार्यालय ग्राम पंचायत - सरवरपुर केसरिया  
तहसील - सीतापुर, जिला - सीतापुर

दिनांक - 12.5.2015

क्रम संख्या	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री हरिवंश	हरिवंश
2	श्री राजेश कुमार	राजेश कुमार
3	श्री शक्तिश कुमार	शक्तिश
4	श्री बृजपाल	बृजपाल
5	श्री कन्हैया शंकर	कन्हैया शंकर
6	श्री कमलेश कुमार मिश्र	कमलेश कुमार मिश्र
7	श्री शक्तिश कुमार	शक्तिश कुमार
8	श्री अभिषेक शुक्ला	Abhishek Shukla
9	श्री रामशंकर	रामशंकर
10	श्री विशु कुमार	विशु कुमार
11	श्री पंकज	पंकज
12	श्री संजय कुमार	संजय कुमार
13	श्री सुशील राय	सुशील राय
14	श्री सुशील कुमार	सुशील कुमार
15	श्री प्रमोद कुमार	प्रमोद कुमार

मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर एवं बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य से किसी प्रकार के मलवे का उत्पादन/उत्सर्जन नहीं होगा। अतः इस मलवे के विवरण, निस्तारण तथा रीक्लेमेशन प्लान का प्रश्न ही नहीं उठता है।



05.06.2015

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)  
पूर्वोत्तर रेलवे  
लखनऊ



प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सीतापुर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की उपलब्धता एवं उपयुक्तता का  
प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर  
के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी  
68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर के अन्तर्गत उक्त निर्माण कार्य हेतु सरवरपुर केसरिया गाँव में चयनित स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध एवं उपयुक्त है।

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
सीतापुर

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सीतापुर



निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G44C15


Scale 1:50,000

G44C10 (63 A/10)	G44C14 (63 A/14)	G44D2 (63 E/2)
G44C11 (63 A/11)	Sitapur UTTAR PRADESH G44C15 (63 A/15)	G44D3 (63 E/3)
Hardoi UTTAR PRADESH G44C12 (63 A/12)	Bāra Banki UTTAR PRADESH G44C16 (63 A/16) Lucknow UTTAR PRADESH	G44D4 (63 E/4)

Kheri, UTTAR PRADESH.  
Unnāo, UTTAR PRADESH.

सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

Edition 2009. Price : Rs. 50 / -



9250  
994  
150514

1-112  
14-15  
02-05-14

कार्यालय नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2060 / 11सी-क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक: लखनऊ: अप्रैल 02, 2014

सेवा में,

- 1-समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय - वर्ष-2014-15 के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की दरों का निर्धारण।

सन्दर्भ-उ०प्र०शासन का शारानादेश संख्या-642/14-3-627/88, वन अनुभाग-3, दिनांक 30.11.1999 व इस कार्यालय का पत्रांक-1644/11सी-क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक 01.04.13

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क्रम/क	भूमि का प्रकार	वर्ष-2014-15 के लिए दरें (रु० प्रति हे०)
1.	पट्टी रोपण (सामान्य भूमि-रेलवे,कैनाल,सड़क आदि), अवनत भूमि तथा खण्डरोपण	98,410
2.	ऊसर भूमि रोपण	1,96,820
3.	पर्वतीय क्षेत्रों में छोड़ी हुई खदानों में रोपण	2,35,795

Man P

9/10/14  
25/4

वृक्षारोपण क्षेत्रफल के स्थान पर, वृक्षों की संख्या से नियन्त्रित होता हो, वहाँ पर भूमि के प्रकार के अनुसार वृक्ष रोपण दर की गणना आवश्यक है। यह गणना करते समय 2000 पौध प्रति हे० माना जायेगा। इस प्रकार पट्टी रोपण आदि के लिए वर्ष-2014-15 हेतु रु० 49.00, ऊसर रोपण के लिए रु० 98.00, पर्वतीय क्षेत्रों में छोड़ी गई खदानों के रोपण के लिए रु० 118.00 प्रति पौध की दर से धनराशि देय होगी। उपरोक्त दरें दिनांक 01-04-2014 से लागू मानी जायेगी।

ASO  
AV  
15/10  
15/5

भारत सरकार का पत्र दि० 22.01.13 जो इस कार्यालय के पत्रांक-1190/11सी-सामान्य, दि० 28.01.13 द्वारा आपके कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है, द्वारा 7-10 वर्षों तक के रखरखाव के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक क्षतिपूरक वनीकरण योजना बनाते समय इन दरों का ध्यान रखें। यह उल्लेखनीय है कि यह दरें उच्चतम हैं, इनसे कम दरों पर कार्य सम्पन्न कराया जाना निषेध नहीं है, परन्तु वृक्षारोपण उच्चकोटि के होने चाहिए।

भवदीय,

(ए०के०द्विवेदी)  
नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र संख्या- 2060 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2, लखनऊ।
- 2- समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि - समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, लखनऊ, मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक  
लखनऊ, मण्डल, उ०प्र० लखनऊ